मीरजापुर पुलिस

—प्रेस नोट—

दिनांकः21.06.2026

थाना लालगंज पुलिस टीम द्वारा गोवध निवारण अधिनिय के अभियोग से सम्बन्धित वांछित 02 नफर अभियुक्त गिरफ्तार, स्कार्पियों गाड़ी व मोबाइल फोन बरामद —

अपर्णा रजत कौशिक पुलिस अधीक्षक मीरजापुर द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों की धरपकड़ तथा गो-तस्करी में संलिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही सहित वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षगण को निर्देश दिया गया है।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में पुलिस अधीक्षक आपरेशन व क्षेत्राधिकारी लालगंज के नेतृत्व में थाना लालगंज पुलिस टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है । आज दिनांक 21.06.2026 को थाना लालगंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0-229/2026 धारा 109(1) बीएनएस, 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशुओं के प्रति क्रूरता अधिनियम से सम्बन्धित साक्ष्य संकलन व विवेचना के क्रम में प्रकाश में आये 02 नफर अभियुक्तगण 1. अजय बाबा उर्फ अजय कुमार चौबे पुत्र लल्लन चौबे निवासी तिवारी डेहरिया थाना मोहनिया जनपद कैमूर, बिहार व 2. राजेश कुमार चौधरी पुत्र नरेन्द्र पासी निवासी रामपुर थाना रोहनिया जनपद कैमूर बिहार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार के दौरान मौके से 01 अदद स्कार्पियों वाहन संख्या UP 35 AQ 8228 व 02 अदद मोबाइल फोन बरामद किया गया । उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना लालगंज पुलिस द्वारा नियमानुसार विधिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्तों को मा0न्यायालय/जेल भेजा गया।

पूछताछ विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा पूछताछ में बताया गया कि इनका एक संगठित गिरोह है, जिसमें इनके द्वारा गोवंशों को वाहनों में क्रूरतापूर्वक लादकर बिहार व अन्य प्रदेश ले जाते है । इस दौरान उक्त स्कार्पियों की मदद से आगे-आगे चलते है तथा निगरानी करते है कि कोई पुलिस चेकिंग या बैरियर तो नही है। इस प्रकार इनके द्वारा गोवशों से लदे वाहनों को पास कराया जाता है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त —

1. अजय बाबा उर्फ अजय कुमार चौबे पुत्र लल्लन चौबे निवासी तिवारी डेहरिया थाना मोहनिया जनपद कैमूर, बिहार, उम्र 44 वर्ष।
2. राजेश कुमार चौधरी पुत्र नरेन्द्र पासी निवासी रामपुर थाना रोहनिया जनपद कैमूर बिहार, उम्र करीब 26 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग —

मु0अ0सं0-229/2026 धारा 109(1) बीएनएस, 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशुओं के प्रति क्रूरता अधिनियम थाना लालगंज जनपद मीरजापुर।

आपराधिक इतिहास-(अजय बाबा उर्फ अजय कुमार चौबे)

1.मु0अ0सं0-1064/2008 धारा- 279,307,427 भादवि व 11 पशु क्रूरता अधि0 व 7CLA अधि0 थाना सलोन जनपद रायबरेली।

2. मु0अ0सं0-132/2011 धारा- 420,120B,34 भादवि व 3/5A/8 गोवध निवारण अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधि0 थाना-सैयद राजा जनपद- चन्दौली।

3. मु0अ0सं0-133/2011 धारा- 4/25 आर्म्स एक्ट थाना-सैयद राजा जनपद- चन्दौली।

4. मु0अ0सं0-160/2012 धारा- 307,120B,34 भादवि व 3/5A/8 गोवध निवारण अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधि0 थाना सैयद राजा जनपद चन्दौली।

5. मु0अ0सं0- 139/2005 थाना बरेसर जनपद गाजीपुर।

6. मु0अ0सं0- 161/2012 धारा- 307,120B,34 भादवि व 3/5A/8 गोवध निवारण अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधि0 थाना सैयद राजा जनपद चन्दौली।

7. मु0अ0सं0- 189/2012 धारा- थाना सैयद राजा जनपद चन्दौली।

8. मु0अ0सं0- 439/2015 धारा- 307 भादवि व 3/5A/8 गोवध निवारण अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधि0 थाना- गोपीगंज जनपद भदोही।

9. मु0अ0सं0- 71/2016 धारा- 174A भादवि थाना- गोपीगंज जनपद भदोही।

10.मु0अ0सं0- 48/2017 धारा-3/5A/8 गोवध निवारण अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधि0 थाना- रामनगर जनपद- वाराणसी (कमिश्नरेट वाराणसी)।

11. मु0अ0सं0- 05/2026 धारा- 3(5) BNS व 3/5A/8 गोवध निवारण अधि0 थाना- कोखराज जनपद- कौशाम्बी।

12. मु0अ0सं0- 21/2026 धारा- 109(1),3(5) BNS व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना- कोखराज जनपद- कौशाम्बी।

बरामदगी विवरण-

01 अदद स्कार्पियों वाहन संख्या UP 35 AQ 8228 व 02 अदद मोबाइल फोन बरामद।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम –

प्रभारी निरीक्षक वेद प्रकाश पाण्डेय मय पुलिस टीम थाना लालगंज जनपद मीरजापुर।

****